



2026:AHC:125587

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 18307/2026

प्रवीण यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : जयेंद्र कुमार मिश्रा, कीर्ति मिश्रा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 110/2026, धारा 352, 351(2), 308(5), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सेक्टर 63, जिला- गौतम बुद्ध नगर, में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल बेगुनाह है और उसे किसी गलत मकसद से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था और बाद में उसे बिना किसी ठोस सबूत के मामले में फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कथित घटना के समय और तारीख पर आवेदक घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और कथित अपराध को अंजाम देने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई भी प्रत्यक्ष या विश्वसनीय सबूत नहीं है। किसी भी चश्मदीद गवाह ने याचिकाकर्ता को कोई भूमिका नहीं बताई है, और उसके खिलाफ आखिरी बार देखे जाने का भी कोई सबूत नहीं है। आवेदक के वकील का कहना है कि शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार, संबंधित रकम बैंक खाता संख्या 161805006657 (आईसीआईसीआई बैंक), 52210001094803 (बंधन बैंक), 50220030204283 (बंधन बैंक) और 161801000119 (आईसीआईसीआई बैंक) में जमा की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऊपर बताए गए बैंक खातों में से कोई भी खाता आवेदक का नहीं है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोटक महिंद्रा बैंक में एक खाता है और जिन बैंक खातों में कथित रकम जमा की गई थी, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि उस समय आवेदक की पत्नी गर्भवती थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और अस्पताल में रहने के दौरान आवेदक उसके साथ था। इस चरण पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। इस मामले से पहले, आवेदक पर एक आपराधिक मामला दर्ज है जिसमें उसे जमानत मिल चुकी है पूरक शपथ-पत्र का (अनुलग्नक संख्या 3)। आवेदक 24.03.2026 से जेल में है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जमानत अस्वीकृति आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पाती है कि आवेदक की भूमिका अस्पष्ट और सामान्य बताई गई है। इस चरण पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस विचार का है कि आवेदक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

इसके अलावा, आवेदक दो महीने से ज़्यादा समय से हिरासत में है और मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, साथ ही, राज्य की ओर से ऐसी कोई ठोस आशंका नहीं जताई गई है कि जमानत मिलने पर आवेदक सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, मुकदमे में देरी करेगा या गवाहों को डराएगा-धमकाएगा। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है। वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक प्रवीण यादव को उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो:-

- i. रिहाई के बाद, आवेदक संबंधित न्यायालय में लंबित मुकदमे में उपस्थित रहना और सहयोग करना जारी रखेगा।
- ii. वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- iii. वह जमानत की अवधि के दौरान किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय में जमानत रद्द करने की अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी।)

4 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"